संख्या–रा0 पा0-58/सत्तर–1–2019–

प्रेषक,

डॉ0 अमित भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर, 2019

विषयः– जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त अपर मुख्य सचिव, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–ई 7878/जी0एस0 दिनांक 12–11–2019 के साथ संलग्न विज्ञापन संख्या–04/2019 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 की प्रति आपको प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुये अनुपालन आख्या शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

संख्या–रा0पा0 58 (1)/सत्तर–1–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

s.o/g.o-3/c-3

संख्या रा०शि० 58 / स०उ०-1-2019

राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0
लखनऊ–226027

संख्याः ई–7878/जी0एस0
दिनांकः 12-11–2019

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी संलग्न विज्ञापन संख्या–04/2019 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

तत्कम में कृपया उक्त विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

808/S-HE-V/(RK)
VS(M)

(आर० रमेश कुमार)
सचिव
उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
13.11.19

सं० 3311/वि0स0उ0शि0(एम.)/19–20
JS(HB)

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ० प्र० शासन

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(हेमन्त राव)
अपर मुख्य सचिव
श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

SO-1
14.11.19

RAJ BHAVAN, LUCKNOW

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR JANANAYAK CHANDRASHEKHER UNIVERSITY, BALLIA (U.P.)

Advt. No. 04/2019

Dated 11 November, 2019

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Jananayak Chandrashekhar University, Ballia (U.P.), established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/ She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his application in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" along with bio-data (in two copies) to the Additional Chief Secretary to the Governor, Rajbhavan, Lucknow- 226027 (Uttar Pradesh) on or before **03 December, 2019** by Registered/ Speed Post. "**Application for the post of Vice-Chancellor, Jananayak Chandrashekhar University, Ballia (U.P.)**" should be super-scribed on the envelope.

Application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh

राज भवन, लखनऊ

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

दिनांक 11 नवम्बर, 2019

विज्ञापन संख्या--04 / 2019

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक जो भी पहले हो, के लिए रहेगा।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ--साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तथा जीवनवृत्त (02 प्रतियों में) अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ--226027 (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर सकते हैं। लिफाफे पर "**जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ.प्र.) के कुलपति पद के लिए आवेदन**" अवश्य लिखा जाये।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(हस्ताक्षर)
अपर मुख्य सचिव
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश